UPHR010013682026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P. 5728)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–589/2026

1.नेत्रपाल पुत्र लक्ष्मण बाबा जी,

2. हरीराम पुत्र माधव

3. देवी पुत्र लल्ला

सर्वनिवासीगण मिल्लिया थाना निगोही, जिला शाहजहांपुर।

——————————————————आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ————————————————————————————विपक्षी।

दिनांकः–11.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण नेत्रपाल, हरीराम एवं देवी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–175/2025, अन्तर्गत धारा–305(a), 331(4), 317(2) बी०एन०एस०, थाना लोनार, जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जुबैर की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि उसकी दुकान जगदीशपुर चौराहा साण्डी रोड पर जनसेवा केन्द्र की है। दिनांक 06.08.2025 की रात में दुकान में चोरी की घटना हो गयी, जिसमें सत्तर हजार रूपये गोलक में थे और एक लेपटॉप जो कि चलताऊ हालत में नहीं था और एक मोबाइल छोटा था। वह भी अज्ञात चोरों द्वारा सटर काट कर चोरी कर ली गयी।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वे निर्दोष है। उन्होंने कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का कथानक असत्य व मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित है। उपरोक्त घटना का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उनके पास से कथित चोरी की कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है तथा पुलिस द्वारा उनके पास से रूपयों की बरामदगी फर्जी दिखायी

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.03.11 12:43:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गयी है। घर से पकड़कर फर्जी मुठभेड़ दर्शाकर गिरफ्तार किया गया है तथा थाने पर अज्ञात में दर्ज कई मुकदमों में उनको संलिप्त कर दिया गया है। उनके साथ कहे गये अभियुक्तगण वीरेन्द्र व भूपराम की जमानत दिनांक 05.02.2025 को स्वीकार की जा चुकी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

6. जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रसांगिक पर्चे सहित अन्य अभियोजन प्रपत्रो को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रकरण में नामजद नहीं है। उसके विरुद्ध अभियोग है कि उन्होंने अपने साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर घटना के दिनांक व समय पर वादी मुकदमा की दुकान से सत्तर हजार रूपये, एक लैपटॉप व एक छोटा मोबाइल चोरी किया। आवेदक/अभियुक्त नेत्रपाल के कब्जे से इस प्रकरण से संबंधित दो हजार पांच सौ रूपये बरामद किये गये है। कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी होना नहीं कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त नेत्रपाल दिनांक 21.12.2025 व आवेदकगण/अभियुक्तगण हरीराम एवं देवी दिनांक 03.01.2026 से जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध है।

7. मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। ऐसी दशा में आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **नेत्रपाल, हरीराम एवं देवी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा मुबलिग **50,000/– (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।
2. आवेदकगण/अभियुक्तगण आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।
4. आवेदकगण/अभियुक्तगण जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।
5. आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जाएगा।

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांकः 11.03.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।